न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.154/2019 दिनांक–20.12.19

सरकार बनाम जगवीर वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न098/2.0है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि मेंसे 0.0050 है0 पर जगवीर, रघुवीर पुत्र छैलूराम जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने गैहूं कास्त कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायलान जगवीर, रघुवीर पुत्र छैलूराम जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान ने वाके ग्राम खेडकी वीरभान के खसरा नंबर 98/2.0है0 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता की भूमि मेंसे 0.0050है0 भूमि पर अतिकमण अवैध अतिकमण सिद्व होता है अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायलान जगवीर, रघुवीर पुत्र छैलूराम जाति जाट निवासी खेडकी वीरभान तहसील

तहसीलदार
कोटपूतली (जय)

कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न0 98/2.0 है ,किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0050है0 भूमि पर अतिकमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान को उक्त आराजीयात पर बोई फसल गैंहू को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप मे लगान राशी0.02रू. का पचास गुणा1रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली